

प्रेषक,

सुनील कुमार सिंह,  
विशेष सचिव,  
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

1.	उपाध्यक्ष लखनऊ, गाजियाबाद, बस्ती, बरेली, अलीगढ़, रायबरेली, बांदा, उन्नाव-शुक्लागंज व बागपत- बड़ौत-खेकड़ा विकास प्राधिकरण।	2.	अध्यक्ष/जिलाधिकारी, कुशीनगर विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, कुशीनगर।
----	--	----	---

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-6

लखनऊ: दिनांक: ०६ सितम्बर, 2023

विषय: उ०प्र० विकास प्राधिकरण/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण में नियोजन संवर्ग के अकेन्द्रीयित सेवा के पदों के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-1523/आठ-6-2023 दिनांक 01.08.2023 का संदर्भ ग्रहण करते हुए निदेशक, आवास बन्धु के पत्र संख्या-9926/आ०ब०-1/निदेशक/2023-24 दिनांक 05.09.2023(छायाप्रति संलग्न) का अवलोकन करने का कष्ट करें। शासन के उक्त पत्र दिनांक 01.08.2023 द्वारा नियोजन संवर्ग के अकेन्द्रीयित सेवा के सृजित पदों की पदवार सूचना संलग्न निर्धारित प्रारूप पर निदेशक, आवास बन्धु, उ०प्र० लखनऊ(awasbandhu@gmail.com) को उपलब्ध कराते हुए उसकी की एक प्रति शासन(awasanubhag6@gmail.com) को भी उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये थे। वांछित सूचना अभी तक शासन में अप्राप्त है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया नियोजन संवर्ग के अकेन्द्रीयित सेवा के सृजित पदों की पदवार सूचना संलग्न निर्धारित प्रारूप पर निदेशक, आवास बन्धु, उ०प्र० लखनऊ(awasbandhu@gmail.com) को आज ही उपलब्ध कराते हुए उसकी की एक प्रति शासन(awasanubhag6@gmail.com) को भी उपलब्ध कराने का कष्ट करें। प्रकरण अत्यन्त महत्वपूर्ण है अतएव समबद्धता अपेक्षित है।

संलग्नक- यथोक्त।

भवदीय,

(सुनील कुमार सिंह)  
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, आवास बन्धु, उ०प्र० लखनऊ को इस निदेश के साथ प्रेषित कि उक्त अभिकरणों से निर्धारित प्रारूप पर सूचना प्राप्त कर विकास प्राधिकरण/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों में नियोजन संवर्ग के अकेन्द्रीयित सेवा के पदों के पुनर्गठन के संबंध में औचित्यपूर्ण प्रस्ताव सदस्य संयोजक श्री अनिल कुमार मिश्रा, नगर नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ०प्र० लखनऊ को उपलब्ध कराते हुए उसकी एक प्रति शासन को भी उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
2. श्री अनिल कुमार मिश्रा, सदस्य संयोजक/नगर नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ०प्र० लखनऊ को इस निदेश के साथ प्रेषित कि आवास एवं शहरी नियोजन विभाग में नियोजन संवर्ग के पदों के पुनर्गठन के संबंध में औचित्यपूर्ण प्रस्ताव शासन को अविलम्ब उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(चन्द्र श्याम मिश्र)  
अनु सचिव।



आवास बन्धु  
आवास एवं शहरी नियोजन विभाग  
उ०प्र०शासन



सं०-1926/आठ-6-2023

प्रथम तल, जनपथ मार्केट, लखनऊ  
दूरभाष : 0522-4070570  
E-mail: awasbandhu@gmail.com  
website: http://www.awasbandhu.in

संख्या: 9926 / आ०ब०-1/निदेशक/2023-24

दिनांक 05 अगस्त, 2023  
सितंबर

प्रेषक,

निदेशक,  
आवास बन्धु, उ.प्र.  
लखनऊ।

सेवा में,

विशेष सचिव,  
आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-6  
उ०प्र० शासन, लखनऊ।

विषय : उ० प्र० विकास प्राधिकरण/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण में नियोजन संवर्ग के अकेन्द्रीयत सेवा के पदों के सम्बन्ध में।


महोदय,


कृपया उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र सं० 1835/आठ-6-2023 दिनांक 22 अगस्त, 2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा शासन के पूर्व पत्र सं० 1523/आठ-6-2023 दिनांक 01 अगस्त, 2023 के क्रम में, विकास प्राधिकरण/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों में नियोजन संवर्ग के अकेन्द्रीयत सेवा के पदों के पुनर्गठन के सम्बन्ध में औचित्यपूर्ण प्रस्ताव सदस्य संयोजक श्री अनिल कुमार मिश्रा, नगर नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ०प्र० लखनऊ का 02 दिवस के भीतर उपलब्ध कराते हुए, उसकी प्रति शासन को भी उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गई है।

2. इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रश्नगत प्रकरण में अभी तक 10 अभिकरणों यथा- लखनऊ, गाजियाबाद, बस्ती, बरेली, अलीगढ़, रायबरेली, बांदा, उन्नाव-शुक्लागंज व बागपत-बड़ौत-खेकड़ा विकास प्राधिकरण एवं कुशीनगर विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण से नियोजन संवर्ग के अकेन्द्रीयत सेवा के सृजित पदों का विवरण प्राप्त नहीं हो पाया है, जिसके कारण उक्त वांछित प्रस्ताव तैयार किया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है जबकि उक्त सूचना तत्काल उपलब्ध कराने हेतु शासन के पत्र सं० 1523/आठ-6-2023 दिनांक 01 अगस्त, 2023 एवं अधोहस्ताक्षरी के पत्र सं० 9796/आ.ब.-1/निदेशक/2023-24 दिनांक 07 अगस्त, 2023, पत्र सं० 9855/आ.ब.-1/निदेशक/2023-24 दिनांक 22 अगस्त, 2023 व पत्र सं० 9864/आ.ब.-1/निदेशक/2023-24 दिनांक 25 अगस्त, 2023 द्वारा सम्बन्धित अभिकरणों से निरन्तर अनुरोध किया जा रहा है।

3. अतः उक्त के दृष्टिगत, आपसे अनुरोध है कि कृपया उक्त वांछित सूचना तत्काल उपलब्ध कराने हेतु सम्बन्धित अभिकरणों को शासन स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें, जिससे वांछित प्रस्ताव शीघ्र तैयार कर प्रेषित किया जा सके।

भवदीय,

  
(रवि जैन)  
निदेशक

  
05/08/2023